न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2024/547

1. समस पुत्र मौजू, जाति मेव, निवासी ग्राम खेड़ी, तहसील तिजारा, जिला अलवर।

—अपीलान्ट

बनाम

1. दीनदार पुत्र जगमाल, जाति मेव, निवासी ग्राम खेड़ी, तहसील तिजारा, जिला अलवर।

—असल रेस्पोडेन्ट

2. नायब तहसीलदार/उप तहसीलदार टपूकड, तहसील तिजारा, जिला अलवर।

—तरतीबी— रेस्पोडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 76 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भिवाडी, जिला अलवर निर्णय दिनांक 13.12.2021 अपील संख्या 11/56/2021 उनवानी दीनदार बनाम समस व अन्य पर पारित किया गया है।

उपस्थित :—

1. श्री विजय सिंह राठौड, अधिवक्ता अपीलान्ट।
2. श्री रामस्वरूप बैरवा, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अनुपस्थित।
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से।

निर्णय

दिनांक —14.02.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर, भिवाडी, जिला अलवर के निर्णय दिनांक 13.12.2021 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने नायब तहसीलदार टपूकडा जिला अलवर द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 973 दिनांक 13.05.2019 से व्यथित होकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भिवाडी (अलवर) के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भिवाडी (अलवर) ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.12.2021 द्वारा अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर नामांतकरण संख्या 973 वाके ग्राम खेडी तहसील टपूकडा पर अधीनस्थ नायब तहसीलदार टपूकडा जिला अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.05.2019 निरस्त किया जाकर उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय होने के पश्चात नियमानुसार खातेदारान के हक हकूक नामांतकरण प्रक्रिया से तय करने के आदेश पारित किये गये।
3. न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भिवाडी, जिला अलवर के उक्त निर्णय दिनांक 13.12.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट समस पुत्र मौजू द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भिवाडी, जिला अलवर के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.12.2021 को निरस्त करने की प्रार्थना की गयी है।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अनुपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित आराजी मिन अपीलांट के पिता मौजू के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी। मौजू विवादित आराजी मिन अपीलाण्ट के कब्जे काश्त मे चली आ रही है, लेकिन राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा गलत इन्द्राज अपने हक में कराये जाने के कारण मिन अपीलाण्ट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विद्वान उपखण्ड

अधिकारी तिजारा के न्यायालय में प्रस्तुत किया, जो वाद संख्या 349/2013 दिनांक 11.04.2019 को डिक्री मिन अपीलाण्ट के पक्ष में कर दिया गया। जिस तथ्य को विद्वान तहत न्यायालय में उठाया गया। लेकिन विद्वान तहत न्यायालय ने उक्त निर्णय डिक्री को नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है। इन्तकाल संख्या 973 दिनांक 13.05.2019 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा के निर्णय व डिक्री दिनांक 11.04.2019 की पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा दर्ज व तस्दीक किया गया है, जो कानूनी रूप से सही व नियमानुसार दर्ज व तस्दीक किया गया था। विद्वान उपखण्ड अधिकारी तिजारा का निर्णय व डिक्री दिनांक 11.04.2019 आज तक बदस्तूर बहाल है जो किसी अपीलीय न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं की गई है। इसके बावजूद भी विद्वान तहत न्यायालय ने इस अहम बिन्दू पर गौर नहीं किया है। विद्वान तहत न्यायालय ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि इन्तकाल संख्या 973 दिनांक 13.05.2019 उपखण्ड अधिकारी के आदेश की पालना में दर्ज व तस्दीक किया गया है। इसके बावजूद भी तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में अहम गलती की है। विद्वान तहत न्यायालय ने यह भी स्वीकार किया है कि दोनों न्यायालयों में प्रस्तुत राजीनामा अभी तक तस्दीक नहीं किया गया है। इसके बावजूद भी विद्वान तहत न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। वास्तव में मिन अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के मध्य कोई राजीनामा पेश नहीं किया गया और इसी कारण से तथाकथित राजीनामा ना तो तहत न्यायालय ने तस्दीक किया और ना ही माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा तस्दीक किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने उपखण्ड अधिकारी तिजारा के निर्णय व डिक्री को न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी, अलवर के न्यायालय में चुनौती दी जो अपील खारिज कर दी गई। तपश्चात एक अपील माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन है जिसमें अभी कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में विद्वान उपखण्ड अधिकारी तिजारा का निर्णय व डिक्री आज तक बदस्तूर व बहाल है। विवादित आराजी से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कोई सम्बन्ध, वास्ता व सरोकार नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 गैर काबिज व गैर वास्ता शख्स है। विद्वान तहत न्यायालय में अपने निर्णय में यह स्वीकार भी किया है कि खातेदारी के हक व हकूक दावे से प्राप्त होते है। नामान्तकरण एक सामान्य प्रक्रिया हैं इसके बावजूद भी विद्वान तहत न्यायालय ने अपने कथन के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी तिजारा के न्यायालय से मिन अपीलाण्ट के हक व अधिकार को मानते हुए दावा डिक्री किया है। जिस वाद में यह निर्णित किया जा चुका है कि विवादित आराजी में रेस्पोडेण्ट का कोई हक व अधिकार नहीं है। इसके बावजूद भी तहत न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने में गलती की है। तहत न्यायालय में अपील मयाद बाहर प्रस्तुत की गई थी तथा दफा 5 कानून मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। लेकिन विद्वान तहत न्यायालय द्वारा धारा 5 कानून मियाद अधिनियम का निर्णय पारित ही नहीं किया, जबकि कानूनन धारा 5 कानून मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का सर्वप्रथम निर्णय करना चाहिए था और ततपश्चात अपील का निर्णय करना चाहिए था, लेकिन तहत न्यायलय ने अहम कानून गलती की है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आलौच्य निर्णय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, भिवाडी, अलवर दिनांक 13.12.2021 निरस्त फरमाया जावे।

6. रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.12.2021 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. मैंने प्रकरण के अभिलेखों को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रस्तुत प्रकरण न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर

भिवाडी, अलवर के निर्णय दिनांक 13.12.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 973 वाके ग्राम खेड़ी, तहसील टपूकडा पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार टपूकडा द्वारा पारित आदेश दिनाक 13.05.2019 को निरस्त किया गया। अपीलार्थी का कथन है कि उक्त नामान्तकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा के निर्णय व डिक्री दिनांक 11.04.2019 की पालना में दर्ज व तस्दीक किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा द्वारा पारित निर्णय की प्रति प्रस्तुत की गई थी। जिसमें रेस्पोडेन्ट दीनदार को भी पक्षकार बनाया गया था एवं सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया गया था। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दोनों पक्षों के बीच हुए राजीनामा से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत किये गए जिन्हें न्यायालय ने राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना बताया गया। किन्तु उक्त राजीनामा के आधार पर कोई निर्णय पारित हुआ हो ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली में उपलब्ध नहीं पाया गया। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भिवाडी, अलवर द्वारा अपने निर्णय में इस बात का स्पष्ट अंकन किया है कि न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर से अभी निर्णय पारित नहीं हुआ है। जब दोनों पक्षों में हुए राजीनामा के आधार पर कोई निर्णय ही पारित नहीं हुआ है, तो दोनों पक्षों को पूर्ण सुनवाई का अवसर देने के पश्चात पारित किये गए निर्णय के आधार पर खोले गये नामान्तकरण को निरस्त किए जाने का कोई औचित्य दिखाई नहीं देता और न ही अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भिवाडी, अलवर द्वारा इसके सम्बन्ध में कोई युक्तियुक्त कारण अपने निर्णय में उल्लेखित किये गये हैं। केवल मात्र आराजी को विवादास्पद मानकर नामान्तकरण को निरस्त किए जाने के आदेश पारित किये गये, जो कि उचित नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भिवाडी, अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.12.2021 निरस्त किया जाता है।

अतः आदेश है कि – अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भिवाडी अलवर, हाल जिला खैरथल तिजारा दिनांक 13.12.2021 निरस्त किया जाता है तथा नायब तहसीलदार टपूकडा जिला अलवर, हाल जिला खैरथल तिजारा द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 973 वाके ग्राम खेड़ी तहसील टपूकडा दिनांक 13.05.2019 बहाल रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा) 14/2/25
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय दिनांक 14.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर 14/2/25